भारत का राजपत्र : असाधारण

रजिस्टी सं. डी. 33004/99

REGD. No. D.L-33004/99

भारत का राजपत्र THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग ।।। - खण्ड 4 PART III - Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2013/ फाल्गुन 13, 1934
No.65]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2013/PHALGUANA 13, 1934

तम्बाक् बोर्ड, गुण्टूर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

सं. 2/5/2011-ई.पी (कृषि-VI). - तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 सितम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र भाग ।।। खण्ड 4 में 8/4/98-ईपी. (कृषि-VI) एतद्द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2002 को निरस्त करते हुए, उनके अतिरिक्त, जिनका परिवर्धन अथवा विलोपन अपरोक्त से पूर्व किया जाना हो, तम्बाकू बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, बनाता है:-

- (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (क) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 कहा जाएगा।
 - (ख) उपरोक्त विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) पिरभाषाएँ -- इन विनियमों में, जब तक अन्यथा पिरभाषित नहीं किया जाए, निम्निलिखित साधारण रूप में व्यवहृत किए जाएंगे।
 - (क) ``**बोर्ड** " तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के तहत गठित तम्बाकू बोर्ड
 - (ख) बोर्ड कर्मचारी—तम्बाकू अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत नियुक्त अध्यक्ष, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त कार्यकारी निदेशक, धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त सचिव और बोर्ड में प्रतिनिय्क्ति पर कार्यरत अधिकारियों के अतिरिक्त बोर्ड में कार्यरत अन्य सभी व्यक्ति ।
 - (ग) वेतन. केन्द्र सरकार के मूलभूत नियम और अन्पूरक नियमों में परिभाषित वेतन/ परिलब्धियां ।
 - (घ) पदों का वर्गीकरण --
 - (अ) विरिष्ठ प्रबंधन स्तर.—वे सभी पद, जो अधिकतम रू.39,100 के पे.बैण्ड अथवा अधिक में आते हों।
 - (ब) **माध्यमिक प्रबंधन स्तर.**—वे सभी पद, जिनका पे बैण्ड अधिकतम रू. 34,800 हो किन्तु अधिकतम पे.बैण्ड 39,099 रू. से कम हो।

(ड.) <u>नियुक्ति प्राधिकारी</u> :- बोर्ड के कर्मचारियों के संदर्भ में नियुक्ति हेतु अधिकार प्राप्त नियक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की शक्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

<u>अध्यक्ष</u> :- विरष्ठ प्रबंधन स्तर के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के वे अधिकारी जिनका पे.बैण्ड का अधिकतम रू. 39,100 प्रतिमाह से अधिक न हो, और बोर्ड के अनुमोदन एवं केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श के साथ वे तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनका पे.बैण्ड को अधिकतम रू. 39,100 प्रतिमाह से अधिक हो एवं माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पद:

कार्यकारी निदेशक:- कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद अध्यक्ष की प्राधकारिक शक्तियों के अनुरूप।

- (घ) अन्सूची: इन विनियमों की अन्सूची।
- (छ) <u>सेवा</u> :- बोर्ड में की गई सेवा ।
- (ज) सीधी भर्ती :- रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम मांगाकर अथवा विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मांगा कर अथवा बोर्ड के उपयुक्त योग्य कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर की गई भर्ती। अध्यक्ष, तम्बाक् बोर्ड की दृष्टि में यदि आवश्यक हो तो सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती हैं। इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती बोर्ड कर्मचारी भर्ती के लिए सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए माने जाएंगे और केन्द्र सरकार द्वारा पिछली सेवा के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत व्यहत किए जाएंगे।
- (झ) <u>प्रतिनियुक्ति</u>:- केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को उधार लेना।
- (ट) <u>सरकार</u>: केन्द्र सरकार
- (3) <u>अनुप्रयोग</u> :- ये विनियम अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सचिव और केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पद के अतिरिक्त विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी पदों के लिए अनुप्रयुक्त होंगे।
- (4) प्रारम्भिक विधान :- इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख को इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्धारित पदों को नियमित आधार पर ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत अनयुक्त माने जपाएंगे और उनके द्वारा की गई अब तक की लगातार सेवा उसी ग्रेड में विरष्ठता के उद्धेश्य के लिए गिनी जाएगी।
- (5) <u>अनहर्ताए :-</u> कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति हेतु अनर्ह होगा, यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पित अथवा पत्नी पहले से जीवित हो

3

(ख) जो जीवित पित अथवा पत्नी के होते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर चुका हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो

यदि सरकार इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि उस व्यक्ति एवं अन्य पक्ष पर लागू होने वाले निजी कानून में ऐसा विवाह को अनुमित प्रदान की गई है और कि ऐसा करने के अन्य आधार है, तो ऐसे व्यक्ति का इस नियम के लागू हो से छूट प्रदान की जा सकती है।

- (6) बोर्ड के किसी भी ग्रेड के कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (7) यदि विभागीय समिति द्वारा प्रोन्नित के लिए किसी किनष्ठ, जिसने पदोन्निती के लिए निर्धारित पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के नाम पर विचार किया जा रहा है, वहां, उस ग्रेड में उससे विरष्ठ सभी अधिकारियों भले ही उन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की हो, के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उन्होंने ग्रेड में निर्धारित परिवीक्षा, यदि कोई हो, को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया हो और सतर्कता के दृष्टिकोण से किसी भी आरोप से मुक्त हों।
- (8) <u>परिवीक्षा की अवधि</u> : सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में दी गई अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।
- (9) परिवीक्षा की अवधि का पूरा होना अथवा सेवा समाप्ति
 - (क) कार्य अथवा आचरण के पद के अनुरूप संतोषजनक न जाए पाने पर नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन कर्मी की परिवीक्षा की अविध बढा सकता है। उन पदों के अतिरिक्त जिन पर भर्ती केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श द्वारा की गई हो, नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन कर्मी के कार्य अथवा आचरण को पद के अनुरूप संतोषजनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अविध की बढी हुई अविध के पश्चात् भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी की सेवाएं समाप्त कर सकता है अथवा बोर्ड के कर्मचारी के पुन: उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है।
 - (ख) उन पदों के अतिरिक्त, जिन के लिए भर्ती हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व परामार्श किया गया हो अन्य सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति का आचरण एवं कार्य यदि परिवीक्षा अविध के दौरान अथवा परिवीक्षा अविध की बढी हुई अविध के दौरान पर के अनुरूप संतोषजनक पाया गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त अविध के समापन के पश्चात यथाशीघ्र घोषित करेगा कि उस व्यक्ति ने अपनी परिवाक्षी संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है और उसे पद पर स्थायी करेगा।
- (10) <u>स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र</u> : सेवा में भर्ती के समय वरिष्ठ प्रबंधन स्तर और माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को सिविल सर्जन पद के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना होगा।
- (11) <u>पेंशन लाभ:</u> बोर्ड के कर्मचारी केन्द्र सरकार के समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के लाभों के अधिकारी होंगे।
- (12) <u>निश्चित वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, छूट आदि</u> : इन विनियमों का कोई भी भाग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, उनन्य पिछड वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत अनुमन्य आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को विपरीत रूप से प्रमाणित नहीं करेगा।

(13) <u>विभागीय पदोन्नित समिति का गठन</u>: अध्यक्ष विभिन्न वर्गों के बोर्ड कर्मचारियों की प्रोन्नित हेतु अनुसूचियों अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय पदोन्नित समिति का गठन करेगा।

(भाग ।।। -- खण्ड 4)

- (14) <u>अन्य सेवा शर्त</u>ें: उन विषयों पर, जिन पर इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं, बोर्ड किमीयों की सेवा शर्तें उसी वर्ग के केन्द्र सरकार के किमीयों के समान होंगी। अद्यिप, बोर्ड में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा अनुसूची में इंगित आयु होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासनिक संबंधी मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत लागू होंगे।
- (15) <u>पदों का सृजन</u> : बोर्ड का अध्यक्ष अथवा बोर्ड तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 6 की उपधारा 4 के साथ पठित तम्बाक् बोर्ड (सामान्य) नियम, 1984 के विनियम 15 एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमों के अनुसार पदों के सृजन हेत् सक्षम है।
- (16) <u>सामान्य</u>: बोर्ड के कर्मचारी सेवा शर्तों एवं अन्य शर्तों के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबंधों, उनके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों और बोर्डि अथवा केन्द्र सरकार द्वारा लागू अन्य शर्तों के अधीन होंगे।
- (17) <u>शिथिल करने की शक्ति</u> : जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐस करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह, उसके लिए कारणों को लेख बद्ध कर के और केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर किसी वर्ग या श्रेणी के ट्यक्तियों के लिए इन विनियमों के प्रावधानों/ किसी एक प्रावधान में छूट प्रदान कर सकता है।

तम्बाक् बोर्ड, गुण्ट्र तम्बाक् बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे.बैण्ड और ग्रेड	च्नाव पर
			पेय सवेल	उ अथवा गैर
				च्नाव पर
1	2	3	4	5
क्षेत्रीय प्रबंधक	8	वरिष्ठ स्तर प्रबंधन तकनीकी	पे.बैण्ड -3	चयन
			15,600-34,150	
			ग्रेड पेय 6600/-	
सेवा से जुड़े वर्षों का		सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के	
लाभ सी सी स			लिए अपेक्षित	
(पेंश्न), नियम 1972			शैक्षिक तथा	
के नियम 32 के			अन्य अर्हताएं	
अधीन स्वीकार्य है				
अथवा नहीं				
			सीधी भर्ती में	परिवीक्षा की
			लागू आयु एवं	अवधि यदि
			शैक्षिक अर्हताएं	कोई हो
			पदोन्नति में	
			लागू होगी अथवा	
			नहीं	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	40 वर्ष से	(क) कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि	आयु नहीं	दो वर्ष
	अधिक नहीं ।	(ख) तम्बाकू उत्पादन, प्रसार, विणन		
		एवं बाजार शोध, तम्बाकू नीलामी		
		का क्रियांवन में 5 वर्ष का अनुभव,		
		जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव		
		न्यूनतम पर्यवेक्षक के रूप में होना	शैक्षिक अर्हता	
		चाहिए।	नहीं नहीं	
			ואָויי	

भर्ती की पद्धति/	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति द्वारा	यदि विभागीय पदोन्नति	वे परिस्थितियां,
सीधी भर्ती या	भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे	समिति है तो उसकी संरचना	जिनमें भर्ती
प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति		करने के लिए
/स्थान्तरण द्वारा	स्थान्तरण किया जाएगा।		संघ लोक सेवा
विभिन्न पद्धतियाँ			आयोग से
द्वारा भरी जाने			परामर्श किया
वाली रिक्तियों की			जाना है
प्रतिशता			
11	12	13	14
पदोन्नीत द्वारा	1. प्रोन्नति: नीलामी अधीक्षक/	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष	लागू नहीं
जिसके न हो सकने	वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी, पद पर	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	
पर प्रतिनियूक्ति	5 वर्ष की सतत् सेवा के साथ	3. निदेशक स्तर के 2	
द्वारा दोनों के न हो	प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता का	अधिकारी वाहय जिनमें से 1	
सकने पर सीधी भर्ती	निर्धारण नीलामी अधीक्षक और	अधिकारी अनुसूचित	
द्वारा	वरिष्ठ ग्रेडिंग अधिकारी के रूप	जनजाति का हो - सदस्य	
	में कुल की गई सेवा के योग से		
	किया जाएगा।		
	2. प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य		
	सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य के		
	स्वायत्व निकाय, सार्वजनिक		
	क्षेत्र उपक्रम में सहश्य पद पर		
	कार्यरत ग्रेड पे. में न्यूनतम 5		
	वर्ष तक सेवारत रहे कर्मियों से,		
	जो कालम 8 में सीधी भर्ती के		
	अभ्यर्थी हेतु विनिर्धारित शैक्षिक		
	अर्हता एवं अनुभव रखता हो।		
	(प्रतिनियुक्ति की अवधी		
	साधारणतः 3 वर्ष से अधिक		
	नहीं होगी)		

1	2	3	4	5
2. प्रबंधक (वित्त	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर	चयन पे.बैंड 3	चयन
एवं लेखा)		तकनीक	रू. 15,600-	लागू
			39,100	
			ग्रे.पे.6600	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू
				नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति, जिसके न	प्रोन्नति: उप प्रबंधक (लेखा)/	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
हो सकने पर	सहायक प्रबंधक लेखा या		.,	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	उसके सदस्य पर में न्यूनतम	3. निदेशक स्तर के 2		
	5 वर्ष की सेवा/ प्रोन्नति हेत्	बाह्य अधिकारी जिनमें से		
	वरिष्ठता का निर्धारण उप	1 अधिकारी अनुसूचित		
	प्रबंधक (लेखा)/ सहायक	जाति/अनुसूचित जनजाति		
	प्रबंधक (लेखा) के रूप में की	का हो - सदस्य		
	गई कुल सेवा के योग के			
	आधार पर किया जाएगा।			
	प्रतिनियुक्ति:भारतीय लेखा			
	परीक्षा और लेखा विभाग के			
	सहश्व के लेखा परीक्षा			
	अधिकारियों/लेखा अधिकारियों			
	उपक्रम अथवा केन्द्र/ राज्य के			
	स्वायत्तशासी निकाय में			
	समकक्ष पद में कार्यस्त लेखा			
	परीक्षा अधिकारियों/ लेखा			
	अधिकारियों में से अथवा			
	15600-39,100 पे.बैंड में			
	5400 में 7 वर्ष की सतत्			
	सेवा करने वाले लेखा परीक्षा			
	अधिकारियों/ लेखा			
	अधिकारियों में से,			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	साधारणतः 3 वर्ष से अधिक			
	नहीं होगी)			

1	2	3	4	5
3. प्रबंधक (व्यापार)	1	वरिष्ठ स्तर, गैर- तकनीक	ਧੇ.ਕੈਂਡ 3 15,600- 39,100 ਗ਼ੇਡ ਧੇ. 6600	लागू नहीं
6	7	8	9	10
लागू नहीं	चालीस (40) वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य (1) वाणिज्य अथवा कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (2) तम्बाक् के घरेल् एवं अनतर्राष्ट्रीय व्यापार में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष पर्यवेक्षक/ निरीक्षक स्तर पर कार्य किया हो	नहीं	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा 1 4. नीलामी अधीक्षक/ सीनियर ग्रेडिंग अधिकारी	लागू नहीं 2 55	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. निदेशक स्तर के 2 बाहय अधिकारी जिनमें से 1 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो - सदस्य 3 विरष्ठ प्रबन्धन स्तर, तकनीक	सागू नहीं 4 पे.बैंड 3 15,600-39,500 ग्रेड पे.5,400	5 ਹ ਧਰ
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नित उन फील्ड अधिकारियों/तकनीक सहायक, जिन्होंने न्यूनतम 8 वर्ष की सतत् सेवा ग्रेड की हो, में से प्रतिनियुक्ति: केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय अथवा राज्य के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	 अध्यक्ष - अध्यक्ष . तकार्यकारी निदेशक- सदस्य सचिव - सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी - सदस्य 	लाग् नहीं	

	के उन अधिकारियों से (i) जो सहश्य पर नियमित रूप से धारित करते हैं अथवा (i i) न्यूनतम 8 वर्षों से 9300- 4800 पे बे. में 4200 ग्रेड पे. में कार्यरत हो (2) तम्बाकू के उत्पादन/ प्रसार/ विपणन और विपणन शोध और तम्बाकू नीलामी संचालित करने का अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यव: 3 वर्ष की होगी।)			
1	2	3	4	5
5.उप प्रबंधक (लेखा)	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर-तकनीक	ਧੇ.ਕੈਂਡ 3 15,600-39,100 ਗ਼ੇਡ ਧੇ. 5,400	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नित : अधीक्षक/ लेखाकार अथवा समकक्ष पद पर 4200 ग्रेड पे. पर 8 वर्ष की सतत् एवं नियमित सेवा करने वाले कर्मियों से प्रतिनियुक्ति : भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के लेखा परीक्षकों/ लेखा अधिकारियों से अथवा लेखा/ लेखा परीक्षा अधिकारी जो केन्द्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक निकायों में सदृश्य ग्रेड पे. आहरित कर रहे हो, से (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।)	सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी -	लागू नहीं	

1	2	3	4	5
6 सहायक प्रबंधक	33	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर-	पे.बैंड 3	चयन
(लेखा)		तकनीक	15,600-39,100	
,			ग्रेड पे.5,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नीत :	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
जिसके न हो	अधीक्षक/लेखाकार अथवा सदृश्य	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सकने पर	पद पर 4200 ग्रेड पे. पर 8	3. सचिव - सदस्य		
प्रतिनियुक्ति	वर्ष की सतत् एवं नियमित	4. अनुसूचित		
द्वारा	सेवा करने वाले अधिकारियों से	जाति/जनजाति का एक एक		
	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र / राज्य	बाह्य अधिकारी - सदस्य		
	सरकार, केन्द्र/राज्य सार्वजनिक			
	उपक्रम एवं स्वायत्त निकायें के			
	उन अधिकारियों से			
	1(क) जो सदृश्य पद नियमित			
	रूप से धारित करते हो			
	अथवा			
	(ख) 4200 ग्रेड पे. व पे.बैंड-2			
	में 8 वष्र की नियमित एक			
	सतत् सेवा की हो			
	2. प्रशासन स्थापना एवं लेखा			
	मामलों की जानकारी हो।			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)			
1	2	3	4	5
7. सांख्यिकी	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर	पे.बैंड 3	चयन
अधिकारी		तकनीक	15,600-39,100	
	_		ग्रेड पे.5,400	4.0
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः सांख्यिकी अथवा गणित अथवा वाणिज्यिक अर्थशास्त्र में पर	आयु नहीं योग्यता	दो वर्ष
		स्नातक उपाधि।	नहीं	
		वांछनीय: आंकडा संग्रहण व		
		विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव		
		भारतीय सांख्यिकी संस्थान अथवा भारतीय कृषि सांख्यिकी की शोध		
		गारताय पृत्य साराख्यका का साव		

		संस्थान का डिप्लोमा धारित ।		
11	12	13	14	
जिसके न हो	पदोन्नतिः वरिष्ठ अन्वेषक जो ग्रेड में नियमित आधार पर 8 वर्ष की सेवा कर चुके हों	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4.अनुसूचित जाति/जनजाति का	लाग् नहीं	
		एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य		
1	2	3	4	5
अध्यक्ष की निजी सचिव	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4600	चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	.,
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नतिः तीन वर्ष की नियमित सेवा करे हुए आशुलिपिक (ग्रेड-।) अधिकारियों में से	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं	
1	2	3	4	5
9.क्षेत्र अधिकारी/ तकनीक सहायक	88	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2 9300-34,800 ग्रेड पे. 4200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि वांछनीयः तम्बाक् रोपण व संस्तर जानकारी	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं	सीधी भर्ती से चयनित कर्मियों हेतु 2 वर्ष
11	12	13	14	
पदोन्नति एवं सीधी भर्ती 1:1 के अनुपात में	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित सेवा वाले क्षेत्र सहायकों से	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष . 2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. सचिव - सदस्य 4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एक एक बाह्य अधिकारी - सदस्य	लाग् नहीं	

4	0	2	4	E
1	2	3		5
10.अधीक्षक/	33	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर		चयन
लेखाकार		तकनीक	9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	मान्यता प्राप्त	नहीं	दो वर्ष
		विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
11	12	13	14	
पदोन्नति व सीधी	पदोन्नति :	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
भर्ती पदोन्नति व	(क) 90% तीन वर्ष की	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सीधी भर्ती में	नियमित सेवा वाले सहायक,	3. सचिव - सदस्य		
निय्क्त का	जिनके उपलब्ध न होने पर ऐसे	4. अनुसूचित		
	सहायक जिनकी सहायक एवं	J		
होगा	उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में			
	सम्मलित सेवा न्यूनत्म 10 वर्ष			
	की हो।			
	(ख) 10% तीन वर्ष की नियमित			
	सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड (ii),			
	जिनके उपलब्ध न होने पर ऐसे			
	आशलिपिक ग्रेड (iii) जिसकी			
	आशुलिपिक ग्रेड iii एवं			
	आशुलिपिक ग्रेड ॥ के रूप में			
	सम्मिलित सेवा न्यूनतम 10 वर्ष			
	की हो।			
1	2	3	4	5
11. वरिष्ठ	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड 2	चयन
अन्वेषक			9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: ग्रेड में 3 वर्ष की	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
जिसने न हो		2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
सकने पर	सहायकों में से	3. सचिव - सदस्य		
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति: तीन वर्ष तक	J "\		
द्वारा	सदृश्य पद धारित करने वाले	एक एक बाह्य अधिकारी -		
٠٠,٠١	अधिकारियों से	सदस्य		

(भाग ।।।		खण्ड	4)	
----------	--	------	----	--

1	2	3	4	5
12. वरिष्ठ	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर	पे.बैंड 2	लागू नहीं
अनुवादक		तकनीक	9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:1 (क) किसी		
		मान्यता प्राप्त		
		विश्वविद्यालय से		
		स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त		
		की हो हिन्दी/ अंग्रेजी में		
		अथवा		
		तथा अंग्रेजी/ हिन्दी स्नातक		
		स्तर पर अनिवार्य/ ऐच्छिक		
		विषय के रूप में रहा हो		
		(ख) हिन्दी/अंग्रेजी से इतर		
		किसी विषय में स्नातकोत्तर		
		उपाधि प्राप्त की हो तथा		
		स्नातक स्तर पर		
		अंग्रेजी/हिन्दी में से कोई एक		
		विषय के रूप में एवं इसका		
		परीक्षा के माध्यम के रूप		
		में रहा हो		
		(ग) हिन्दी अंग्रेजी से इतर		
		अथवा किसी विषय में		
		स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त		
		की हो तथा स्नातक स्तर		
		पर हिन्दी/अंग्रेजी से कोई		
		एक विषय के रूप में और		
		इसका परीक्षा माध्यम के		
		रूप में रहा हो और		
		2. हिन्दी से अंग्रेजी व		
		अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में		
		कोई मान्यता प्राप्त प्रमाण		
		पत्र/डिप्लोमा		
		वांछनीय: अंग्रेजी से हिन्दी		
		व हिन्दी से अंग्रेजी में		
		अनुवाद करने की योग्यता ।		

-				
11	12	13	14	
सीधी भर्ती	लागू नहीं	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
		2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
		3. सचिव - सदस्य		
		4. अनुसूचित		
		जाति/जनजाति का एक एक		
		बाह्य अधिकारी - सदस्य		
1	2	3	4	5
13.सांख्यिकी	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड 2	लागू नहीं
सहायक			9300-34,800	, ,
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनवार्य:	नहीं	सीधी भर्ती
		(क) सांख्यिकी में स्नातक		वालों हेतु 2
		उपाधि अथवा गणित/		वर्ष
		अर्थशास्त्र/ वाणिज्य में		
		पर्चे/विषय में रूप में		
		स्नातकोत्तर उपाधि।		
		(ख) सांख्यिकीय आंकडों के		
		विश्लेषण में 3 वर्ष का		
		अनुभव		
		वांछनीय: भारतीय		
		। सांख्यिकीय संस्थान अथवा		
		भारतीय कृषि सांख्यिकी		
		शोध संस्थान से डिप्लोमा		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा,	पदोन्नति: दस वर्ष की नियमित	1. अध्यक्ष - अध्यक्ष .	लागू नहीं	
	सेवा वाले ऐसे उच्च श्रेणी			
सकने पर				
प्रतिनियुक्ति	सांख्यिकी में स्नातक उपाधि			
द्वारा जिसके न	रखते हो	का एक एक बाह्य अधिकारी		
हो सकने पर		- सदस्य		
सीधी भर्ती द्वारा	सरकार के ऐसे कर्मचारी जो सदृश्य			
`	पद पर हो और 3 वर्ष का अनुभव			
	रखते हो प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	सामान्यत: 3 वर्ष की होगी।			
·	t	t	t	

<u> </u>				
	0		4	
1	2	3	4	5
14. सहायक	13	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर		गैर चयन
		तकनीक	9300-34,800	
			ग्रेड पे. 4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं	(1) विश्वविद्यालय से	आयु : नहीं शैक्षिक	दो वर्ष
		स्नातक उपाधि	योग्यता: नहीं	
		(2) प्रशासन, लेखा क्षेत्र में		
		3 वर्ष का अनुभव		
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नतिः दस वर्ष की नियमित	1.कार्यकारी निदेशक	लाग् नहीं	
जिसके न हो सकने	सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से	2.अनुसूचित जाति/जनजाति का	•	
पर सीधी भर्ती		एक बाह्य अधिकारी सदस्य		
द्वारा				
1	2	3	4	5
15. आशुलिपिक	3	मध्य प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 2	गैर चयन
(ग्रेड-।।)		तकनीकी	9,300-34,800	
			ग्रेड पे.4,200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1. मान्यता प्राप्त	आयु:नहीं शैक्षणिक	सीधी भर्ती
		विश्वविद्यालयसे स्नातक	योग्ता: नहीं	वालों के लिए
		उपाधि		2 वर्ष
		2. तकनीकी शिक्षा बोर्ड से		
		अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति		
		मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक		
		में 120 शब्द प्रति मिनट की		
		गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।		
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा	उन आशुलिपि (ग्रेड-।।।) में से	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
जिसके न हो सकने			"	
पर सीधी भर्ती		2. सचिव-सदस्य		
द्वारा	अंग्रेजी टिप्पण में 40 शब्द प्रति	2 21-11-		
•		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
	। भिष्ट सार सुर्वा सार्गालात म			
	मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	•	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	120 शब्द प्रति मिनट की गति से	का एक बाहय अधिकारी-सदस्य 3	4	5
1 16. उच्च श्रेणी	120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो।		4 पे.बैंड 1	5 गैर चयन
·	120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो। 2	3		

			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
`	जिन्होंने 8 वर्षतक नियमित सेवा			
	की हो। अवर श्रेणी लिपिक एवं	2. सचिव-सदस्य		
	हिन्दी टंकक की वरिष्ठता का	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
	निर्धारण उनकी ग्रेड में प्रविष्टि की	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	तिथि से होगा।	THE CHARLES THE CONTRACT CONTR		
1	2	3	4	5
17. आशुलिपिक	4	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	लागू नहीं
(ग्रेड-।।।)		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	लागू नहीं	दो वर्ष
		(1) 10+2 अथवा समकक्ष		
		(2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से		
		अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति		
		मिनट की गति एवं अंग्रेजी		
		आशुलिपि में 120 शब्द प्रति		
		मिनट की गति से परीक्षा		
		उत्तीर्ण की हो।		
		वांछनीय: मान्यता प्राप्त		
		विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
44	40	40	4.4	
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	(केवल स्थायीकरण हेतु) 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
		।. कायकारा निदशक-अध्यक्ष		
		2. सचिव-सदस्य		
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
18. अवर श्रेणी	52	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर		गैर चयन
लिपिक		तकनीक	5,200-20,200	
	7		ग्रेड पे.1,900	40
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः	आयु:नहीं	दो वर्ष
		1. 10+2 अथवा समकक्ष	शैक्षणिक योग्ता: नहीं	

		2. तकनीकी शिक्षा बोर्ड से		
	!	अंग्रेजी की निम्न ग्रेड टंकण		
		परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट		
		की गति से उत्तीर्ण की हो।		
		वांछनीय: मान्यता प्राप्त		
	!	विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती और		1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
प्रोन्नति 3 एवं 1 के	1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्धेश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित	2. सचिव-सदस्य		
अनुपात में	सेवा की हो।			
	2. अर्ह अभ्यर्थी न मिलने पर	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।			
	3. वे बहु उद्धेश्य कर्मी जो			
	नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की			
	आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण			
	परीक्षा से छूट के पात्र होंगे।			
	الالما المرك ما الم والحال			
1	2	3	4	5
19. क्षेत्र सहायक	158	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर	पे.बैंड1	गैर चयन
			5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	आयु:नहीं	दो वर्ष
		1. 10+2 अथवा समकक्ष	शैक्षणिक योग्ता: नहीं	
		2. तम्बाकू रोपण एवं ग्रेडिंग		
		का ज्ञान		
		वांछनीय: मान्यता प्राप्त		
		विश्वविद्यालय से स्नातक		
	<u> </u>	उपाधि		
11		34114		
0.0 ~ .1	12	13	14	
सीधी भर्ती और			14 लाग् नहीं	
सीधी भर्ती और प्रदोन्नति 3 एवं 1	प्रोन्नति:	13 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष		
	प्रोन्नति:	13		
प्रदोन्नति 3 एवं 1	प्रोन्नतिः 1. शैक्षणिक योग्यता प्राप्त बहु-	13 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य		
प्रदोन्नति 3 एवं 1	प्रोन्नतिः 1. शैक्षणिक योग्यता प्राप्त बहु- उद्धेशीय कर्मियों, जिन्होंने पद पर	13 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
प्रदोन्नति 3 एवं 1	प्रोन्नित: 1. शैक्षणिक योग्यता प्राप्त बहु- उद्धेशीय कर्मियों, जिन्होंने पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो,	13 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य		
प्रदोन्नति 3 एवं 1	प्रोन्नित: 1. शैक्षणिक योग्यता प्राप्त बहु- उद्धेशीय कर्मियों, जिन्होंने पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से। यदि अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	13 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति		

1	2	3	4	5
20. चालक (साधरण	10	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	चयन
ग्रेड)		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	आयु:नहीं	दो वर्ष
		1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा		
		समकक्ष		
		2. हल्के मोटर वाहन चलाने		
		का लाइसेंस होना चाहिए।		
		3. हल्के मोटर वाहन चलाने		
		का न्यूनतम दो वर्ष का		
		अनुभव हो।		
11	12	13	14	
प्रोन्नति एवं सीधी	नियमित बह्-उद्धेशीय कर्मियों में	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
भर्ती में 1:1 के			``	
अनुपात द्वारा यदि	चालन में दक्षता परीक्षण होगा।	2. सचिव-सदस्य		
उपयुक्त विभागीय		2 21-11-12-11-11		
कर्मी उपलब्ध न		3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
होने पर प्रोन्नति	अभ्थियों से प्रोन्नति कोटा पूरित	का एक बाह्य जायकारा-सदस्य		
कोटा के पर सीधी	•			
भर्ती द्वारा भरे जा				
सकते हैं।				
1	2	3	4	5
21. गेस्टेटनर	1	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर	पे.बैंड 1	गैर चयन
प्रचालक		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ग्रेड में 7 वर्ष की	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
	नियमित सेवा वाले उन बह्-	2. सचिव-सदस्य		
	उद्धेशीय कर्मियों से, जिन्हे	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
	गेस्टेटनर मशीन के प्रचालन में	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	दक्षता प्राप्त हो।	न्त रच बाट्च आवनगरा-सप्रदेव		
1	2	3	4	5
22. बह्-उद्धेशीय	140	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	लागू नहीं
कर्मी		तकनीकी	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,800	
			,	

	1	T .	T.	1
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा	लागू नहीं	दो वर्ष
		समकक्ष		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
		2. सचिव-सदस्य		
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
23. वरिष्ठ क्षेत्र	45	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	गैर चयन
सहायक		तकनीकी	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.2,400	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
 11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति उन सहायकों से जिन्होंने	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
`	संबद्ध ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित	2. सचिव-सदस्य		
	् सेवा की हो।	3.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
		एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
24. हिन्दी टंकक	2	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 2	लागू नहीं
		तकनीकी	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.1,900	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:		
~ `	,	12+2 अथवा समकक्ष		
		उत्तीर्ण, हिन्दी टंकण की गति 25		
		शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य हैं।		
		वांछनीय:		
		1. तकनीक शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी		
		टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की		
		गति से उत्तीर्ण किया हो। 2.		
		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से		
		स्नातक		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	उन नियमित बहु-उद्धेशीय कर्मियों	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
जिसके न हो सकने		2. सचिव-सदस्य		
पर सीधी भर्ती		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
द्वारा		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
	İ	Tr	l	1

1	2	3	4	5
25. पद्धति	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर तकनीक	पे.बैंड 3	चयन
विश्लेषक			15,600-39,100	
			ग्रेड पे.5,400	
6	7	8	9	10
लाग् नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः 1.सॉख्यिकी/गणित(सांख्यिकी)/ ऑपरेशन रिसर्च/भौतिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सिहत)/वाणिज्य (सांख्यिकी सिहत) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री 2. डाटा प्रासेसिंग का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 1 वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। वांछ्नीयः 1. इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टोरल डिग्री। 2.कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/ सिस्टम / डिजाइन / विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण। 3. एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान भर्ती के	आयु: नहीं शैक्षाविक योग्यता - हॉ	दो वर्ष
		समय उल्लेख किया जाए।		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोग्रामर के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले अभ्यर्थियों में से।	 अध्यक्ष-अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक-सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य 	लागू नहीं	

	T	I		
1	2	3	4	5
26. प्रोग्रामर	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड 2	लाग् नहीं
			9,300-34,800	
			ग्रेड पे.4,800	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	लागू नहीं	दो वर्ष
		गणित/सांख्यिकी/ऑपरेशन		
		रिसर्य/वाणिज्य अथवा		
		अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर		
		उपाधि तथा कम्प्यूटर का ज्ञान		
		स्नातकोत्तर डिप्लोमा न्यूनतम		
		3 वर्ष का संबंधित अनुभव		
11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	(केवल स्थायीकरण हेतु)	लाग् नहीं	
		1. अध्यक्ष-अध्यक्ष		
		2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य		
		3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
27. निदेशक	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर	पे.बैंड 3	लाग् नहीं
(नीलामी)		प्रतिनियुक्ति पद	15,600-39,100	
			ग्रेड पे.7,600	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
	नियुक्ति भारत सरकार के उप		लाग् नहीं	
तहत प्रतिनियुक्ति।		तहत सी.एस.वी. द्वारा		
भारत सरकार के वे	1			
उप-सचिव/निदेशक	प्रतिनियुक्ति की अवधि 4/4 वर्ष			
स्तर के अधिकारी	है।			
जो सी.एस.एस.				
(केन्द्रीय स्टाफिंग				
स्कीम) के तहात				
भारत सरकार में उप				
सचिव /निदेशक				
स्तर पर नियुक्ति				
हेतु अर्ह हैं, इस पर				
गैर-सी.एस.एस. के				
नियुक्त किए जा				
सकते हैं।				
1			•	

22

द्वारा	सरकार/स्वायत्वशासी संस्थान के वे	का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
,	अधिकारी जो सहश्य पद धारित			
	करते हो अथवा 4200 ग्रेड पे में 3			
	वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो			
	तथा कालम 8 में सीधी भर्ती द्वारा			
	नियुक्ति हेतु सभी अहताएं रखते			
	हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	सामान्यतः 3 वर्ष अधिक नहीं			
	होगी।			
1	2	3	4	5
29.संगणक प्रचालक	27	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 1	चयन
(ग्रेड-बी)		तकनीक	5,200-20,200	
			ग्रेड पे.2,800	
6	7	8	9	10
लाग् नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:	आयु नहीं योग्यताः हॉ	दो वर्ष
		1. मान्यता प्राप्त		
		विश्वविद्यालय से स्नातक		
		उपाधि		
		2. टंकण का ज्ञान		
		3. कम्प्यूटर पर 8000 कुंजी		
		प्रसरण / प्रति घंटा की गति		
		वांछनीय:		
		(1)		
		(2)		
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: निर्धारित अर्हता धारित	(स्थायीकरण हेतु)	लागू नहीं	
जिसके न हो सकने	करने वाले श्रेणी	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष		
पर सीधी भर्ती	664, 5	2. सचिव-सदस्य		
द्वारा	लिपिकों / क्षेत्र सहायकों में से	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
		•		
1	2	3	4	5
30. केयर टेकर	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 2	लागू नहीं
		तकनीकी	9,300-34,800	
			ग्रेड पे.4,200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार/राज्य	लागू नहीं	लाग् नहीं	
	सरकार/केन्द्र अथवा राज्य सरकार			
1				

	शासी निकायों के अधिकारी जो			
	शासी निकायों के अधिकारी जो (क) नियमित आधार पर सदृश्य पर हो अथवा नियमित आधार पर पे.बैंड-1 में 5,200-20,200 के स्केल में 2400 ग्रेड पे में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हो। (ख) जिन्हें केयर टेकिंग जैसे सफाई, अग्नि सुरक्षा, फर्नीचर तथा फर्निशिंग सिहत कार्यालय भवन की देख भाल कार्यालय उपस्कर तथा उपकरणों का रखरखाव, बैंठकों तथा सम्मेलनों की व्यवस्था, समूह "ध" तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के प्रबंधन का अनुभव हों। वांछनीय: सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ, अग्नि			
	सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में			
	प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति अवधि			
	सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं			
1	होगी।	3	4	5
31. स्टाफ कार	11	अ कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर		गैर चयन
चालक (ग्रेड-1)		तकनीकी	5,200-20,200	-11 4401
(25 1)			ग्रेड पे.2,800	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	,,
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नित: 1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड- II) प्रोन्नित द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।	 कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष सचिव-सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाहय अधिकारी-सदस्य 	लागू नहीं	
	(2) (1) द्वारा निर्धारित संख्या में रिक्त पूर्ति न होने पर 13 वर्ष की नियमित सेवा वाले वे स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, प्रोन्नित किए जा सकते हैं।			

1	2	2	4	
1	2	3 कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर	4 पे.बैंड 1	5
32. स्टाफ कार	10	कनिष्ठ प्रबंधन स्तर गैर तकनीकी		गैर चयन
चालक (ग्रेड-।।)		त्रभगका	5,200-20,200	
	7	0	ग्रेड पे.2,400	10
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा	8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लाग् नहीं	
	स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड में से जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड	2. सचिव-सदस्य		
	परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
' 33. विशेष ग्रेड	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर	पे.बैंड 2	गैर चयन
चालक		तकनीकी	9,300-34,800	-1-1-1
-11(1)		VI I I I I	ग्रेड पे.4,200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
प्रोन्नति द्वारा	6 वर्ष की नियमित सेवा वाले उन	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नहीं	
ગાર ગાલ ચુંચાલ	स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-1) में से	2. सचिव-सदस्य	\., \(\chi_{\chi}\)	
	जो बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड			
	परीक्षा उत्तीर्ण कर	3. अनुसूचित जाति/जनजाति		
		का एक बाह्य अधिकारी-सदस्य		_
1	2	3	4	5
34. आशुलिपिक	1	मध्य प्रबंधन स्तर गैर		गैर चयन
(ग्रेड-1)		तकनीकी	9,300-34,800	
	_	_	ग्रेड पे.4,200	
6	7	8	9	10
लाग् नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
प्रोन्नति द्वारा			लाग् नहीं	
जिसके न हो सकने		2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य		
पर प्रतिनियुक्ति	से	३ भूनम्राचीत्र जाति/चनचारि		
द्वारा	(ii) की अनुगनुद्धाना की स्थिति में	3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक बाहय अधिकारी-सदस्य		
	(ii) की अनुपलब्धता की स्थिति में	नग रभ भाट्य जायकारा-सदस्य		
	ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-11) में से,			
	जिनकी आशुलिपिक ग्रेड-।। एवं			
	आशुलिपिक ग्रेड-(।।।) में कुल सेवा			
	10 वर्ष की हो प्रतिनियुक्तिः			
	केन्द्र/राज्य सरकार/सावर्जनिक			
	उपक्रमों के उन अधिकारियों में से			

भारत का राजपत्र : असाधारण

	जो पे.बैंड 2 में 9,300-34,800		
	स्केल में 4,200 ग्रेड पे. के साथ		
	5 वर्ष का अनुभव रखते हो अथवा		
	सदृश्य पद पर 3 वर्ष का		
	कार्यानुभव रखते हों1		
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से		
	अधिक नहीं होगी)		

असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (विज्ञापन ।।।/4/असा./153/12)

- नोट: (I) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्धाख प्रभाग लाहल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति की अंतिम तिथि आयु निर्धारण के लिए विचारणीय नहीं होगी।
 - (II) रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों हेतु आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह तरीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा जाएगा।